न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1659/2026

CNR No. UPGD010045692026

सबरूननिशां, आयु लगभग 65 वर्ष, पत्नी गुलाम मोहम्मद, निवासिनी–दर्जीपुरवा, डिडसिया कला, थाना–तरबगंज, जिला–गोण्डा।

.....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

सरकार उ0प्र0। **.....अभियोजन।**

दिनांक–20.07.2026

1. यह प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता **सबरूननिशां** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–175/2026, अन्तर्गत धारा–80(2), 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–तरबगंज, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदिका/अभियुक्ता जिला कारागार गोण्डा में निरूद्ध है।

3. वादी मुकदमा करामत अली द्वारा थाना तरबगंज, जिला गोण्डा में दिनांक 25.05.2026 को समय 19:40 बजे पंजीकृत करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि उसने अपनी पुत्री परमीना बानो की शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ नवम्बर 2025 में मो0 आलम के साथ किया था। जब से उसने अपनी पुत्री की शादी किया तभी से मो0 आलम व उसकी मां सबरून प्रताड़ित करने लगे तथा दहेज की मांग कर रहे थे। यह सब बात उसकी पुत्री ने उन सबको बतायी थी। दिनांक 25.05.2026 को परमीना बानो के ससुरा गुलाम मोहम्मद, जो वर्तमान में मुम्बई में है, वहीं से उसको जरिए टेलीफोन सूचना दिये कि उसकी पुत्री परमीना बानो ने अपने ससुराल दर्जी पुरवा में फांसी लगा लिया है। जब वह अपने परिवार के साथ पुत्री के ससुराल आया तो देखा कि दरवाजा लोहे का अन्दर से बन्द है, रोशनदान से झांका तो उसकी पुत्री की बाडी छत में लगे चुल्ले के सहारे बंधा दुपट्टा जो गर्दन में लपिता हुआ, उसी के सहारे लटक रही है। उसकी पुत्री परमीना बानो की हत्या दहेज के लिए उसके पति मोहम्मद आलम व उसकी सास सबरून ने कर दिया है।

4. आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त मुकदमे में रंजिशन फंसायी गयी है। घटना की रिपोर्ट राय मशविरे के उपरान्त विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोट्र के अनुसार मृतका परमीना बानो 23 वर्षीय प्रौढ़ महिला था, जो अच्छा–बुरा सोचने–समझने में सक्षम थी। उसका लड़का मो0 आलम पारिवारिक परिवेश व रोजी रोटी के सिलसिले में मुम्बई में रहता है, मृतका अपने पति के साथ बराबर मुम्बई ले जाने के लिए जिद करती थी, तैयार न होने पर दरवाजा बन्द करके फांसी लगा लिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार किसी प्रकार की प्रताड़ना अथवा दहेज से सम्बन्धित वस्तु आदि मांगने का उल्लेख नहीं किया गया है। उसका पुत्र अपनी पत्नी से अत्यधिक स्नेह करता था, इसी कारण उसके लड़के मो0 आलम ने उससे बंटवारा कर लिया था और पत्नी के साथ अलग दूसरे मकान में रह रहा था। वह अपने पति व अन्य बच्चों के साथ मूल

Digitally signed by DURG NARAIN SINGH
Date: 2026.07.21 17:50:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पुश्तैनी मकान में रहती थी। उसके पुत्र ने स्वयं अपनी ससुराल (वादी के घर) सूचना दिया। वादी ने पुत्री के दुःख में लोगों के कहने व पुलिस के दबाव में प्रार्थिनी आदि के विरूद्ध झूठा मुदकमा कायम करा दिया। शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृतका की मृत्यु फांसी लगाना पाया गया तथा मृतका के शरीर पर ज्ञात/अज्ञात चोट भी नहीं पायी गयी। वह काफी दिनों से जेल में है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर, मृतका की सास होते हुए, मृतका से अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था तथा मांग पूरी न होने पर मृतका को फांसी से लटका कर उसकी दहेज मृत्यु कारित कर दी गई। मृतका की मृत्यु विवाह के मात्र 7 माह के भीतर हुई है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त समस्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गई।

6. मैंने आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि मृतका परमीना बानो की शादी सह अभियुक्त मो0 आलम के साथ दिनांक 09.11.2025 को तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 25.05.2026 को होना कहा गया है।

8. मृतका परमीना बानो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी गई हैं–

Ligature mark present 32 cm x 02 cm all around neck with gap of 04 cm. Right side upper neck, 01 cm below from right ear, 05 cm below from chin, 06 cm below from left ear. On dissection underlying ligature mark present subcutaneous tissue dry, white and glistening parchment like tissue present.

चिकित्सक द्वारा मृतका की मृत्यु एण्टीमार्टम हैंगिंग के फलस्वरूप दम घुटने से होना बताया गया है।

9. दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा करामत अली का कथन लेखबद्ध किया गया है, जिसमें उसके द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि उसने अपनी लड़की परमीना बानो की शादी पिछले साल 9 नवम्बर को मो0 आलम पुत्र गुलाम मोहम्मद के साथ हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर किया था। शादी के बाद से दहेज कम मिलने की बात को लेकर उसका दामाद मो0 आलम व उसकी लड़की की सास सबरून निशा, उसकी लड़की को हैरान परेशान करते थे। उसकी लड़की उन लोगों को सारी बाते बताती थी। आज शाम को करीब 6 बजे उसके समधी गुलाम मोहम्मद जो इस समय बम्बई में है, उसे फोन करके बताये कि आपकी लड़की ने अपना कमरा बंद करके फांसी लगा लिया है। जिसके बाद वह अपने परिवार व गांव के लोगों के साथ अपनी लड़की के ससुराल आया तो देखा पुलिस और गांव के लोगों की भीड़ लगी थी। उसकी लड़की के कमरे में लोहे का दरवाजा अन्दर से बंद था, रोशनदान से झांककर

देखा तो उसकी लड़की की लाश छत में लगे कुण्डे से दुपट्टा के सहारे लटक रही थी। उसके साथ गांव के गये लोगों और पुलिस ने सब्बल से दरवाजा तोड़कर लाश को नीचे उतरवाया, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब ने उन लोगों में से पंच बनाकर लाश के बारे में उन लोगों के सामने लिखा पढ़ी करके उसका निशानी अंगूठा व अन्य लोगों के हस्ताक्षर बनवाये और अभी लाश चीर घर गोण्डा थी। उसकी लड़की के पति और सास के दहेज के लिए हैरान परेशान किए जाने के कारण ही उसकी लड़की की मृत्यु हुई है।

10. मृतका की मां श्रीमती अमीना, बहन सफीना व सकीला द्वारा विवेचक को दिए गए बयान में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए मृतका की मृत्यु अभियुक्तगण मो0 आलम व सबरूननिशां द्वारा दहेज के लिए हैरान परेशान किए जाने के कारण होने का कथन किया गया है।

11. जहॉ तक आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में आवेदिका/अभियुक्ता के मृतका से बांटकर अलग रहने तथा पृथक निवास के सम्बन्ध में प्रपत्र दाखिल करने के आधार का प्रश्न है, तो उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्य विचारण की विषयवस्तु है, जिनका जमानत के स्तर पर कोई महत्व नहीं है।

12. दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा मृतका परमीना बानो की मृत्यु उसके ससुराल में विवाह के 7 वर्ष के अन्दर होने, वर्तमान अभियुक्ता द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने व उसकी दहेज मृत्यु कारित किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य संकलित किया गया है। मामले में विवेचना उपरान्त आरोप पत्र तैयार किया जा चुका है। आवेदिका/अभियुक्ता मृतका की सास है। आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है।

13. अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मेरे मत में आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है। तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता सबरूननिशां द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता **सबरूननिशां** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–175/2026, अन्तर्गत धारा–80(2), 85 बी0एन0एस0 व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना तरबगंज, जिला गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1659/2026 **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक–20.07.2026

(दुर्ग नरायन सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0 5863